बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)

संकल्प

श्री विधु कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार (सम्प्रति अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान) के विरूद्ध दिनांक 19.07.2014 को मंडल कारा, कटिहार में बंदियों के दो गुटों के बीच झड़प के पश्चात् एक बंदी शमीम अख्तर की मृत्यु के संदर्भ में लापरवाही बरतने तथा दिनांक 18.07.2014 को कैंटीन से सामान खरीदने के लिए बंदियों के दो गुटों की बीच झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण करने के लिए कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं किये जाने एवं प्रशासनिक विफलता के कतिपय प्रतिवेदित आरोपों के लिए गठित आरोप–पत्र प्रपत्र 'क' के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 5919 दिनांक 19.11.2014 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गयी।

2. प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय, पूर्णियाँ के पत्रांक 3980 दिनांक 23.09.2015 से प्राप्त संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच–सह–संचालन पदाधिकारी, पूर्णियाँ प्रमण्डल, पूर्णियाँ द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री कुमार के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया। संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की समीक्षोपरान्त बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली–2005 के नियम 18 (3) के प्रावधानों के तहत् विभागीय ज्ञापांक 1554 दिनाकं 11.03.2016 द्वारा संचालन पदाधिकारी के अधिगम से कतिपय बिन्दुओं पर असहमत होते हुए जाँच प्रतिवेदन की प्रति उपलब्ध कराते हुए श्री कुमार से द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

3. श्री कुमार ने अपने ज्ञापांक 533 दिनांक 27.03.2016 के द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जबाव समर्पित किया। उन्होंने अपने द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब में उल्लेख किया है कि उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उनके कहीं भी दोषी पाये जाने का उल्लेख नहीं है। जिला पदाधिकारी, कटिहार के अंतरिम प्रतिवेदन में उद्धृत है कि " घटना की सूचना अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार को भी विलम्ब से प्राप्त हुई है। " साथ ही इस संबंध में घटना की सूचना जिला नियंत्री पदाधिकारी को ससमय नहीं दी गयी ", की जाँच उनके विरूद्ध संस्थित विभागीय कार्यवाही में की जा चुकी है एवं आरोप प्रमाणित नहीं पाया गया है।

जिला पदाधिकारी, कटिहार के अंतरिम प्रतिवेदन में भी वर्णित है कि तड़के नंबरखुली के समय किसी अप्रिय घटना को रोकने की पूर्ण जवाबदेही उपाधीक्षक एवं प्रभारी मुख्य उच्च कक्षपाल की बनती थी जिसके द्वारा ससमय कार्रवाई किया गया प्रतीत नहीं होता है। त्रिसदस्यीय जांच दल के प्रतिवेदन में वर्णित किया गया है कि जेल डाक्टर द्वारा बंदी को 04:30 बजे अपराह्न में सदर अस्पताल ले जाने की अनुशंसा पर सुबह 09:30 बजे के लगभग बंदी को सदर अस्पताल ले जाने हेतु सुरक्षा कर्मी को प्रतिनियुक्त किया गया था। कारा के बाहर जमा भीड़ के उग्र हो जाने के फलस्वरूप विधि–व्यवस्था के मद्देनजर बंदी को सदर अस्पताल ले जाने की योजना तत्काल स्थगित करनी पड़ी थी।

4. आरोप पत्र, संचालन पदाधिकारी के जाँच प्रतिवेदन एवं श्री कुमार द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा जबाव की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी समीक्षा में पाया गया कि कारा हस्तक के प्रावधानों के अनुसार जिला में काराधीक्षक के नियंत्री पदाधिकारी जिला पदाधिकारी ही होते हैं। सर्वप्रथम घटना की जानकारी जिला पदाधिकारी को देना आवश्यक था जो आरोपित पदाधिकारी द्वारा नहीं किया गया। यह उनके कर्त्तव्य में लापरवाही को परिलक्षित करता है। उनके द्वारा घटना का सही आकलन नहीं किया गया तथा निरोधात्मक कार्रवाई भी नहीं की गई। उनके मातहत कार्य करने वाले सभी कारा पदाधिकारियों एवं कर्मियों के कार्यों/दायित्वों का सतत् अनुश्रवण करना उनका पदीय दायित्व था। इस प्रकार घटनाक्रम के लिए अपने कनीय पदाधिकारियों/कर्मियों को जिम्मेवार बताकर वे अपने दायित्व से मुक्त नहीं हो सकते। उनके द्वारा बंदी को चिकित्सक की अनुशंसा तथा एम्बुलेंस के आने के बाद भी ससमय इलाज हेतु नहीं भेजा गया। इस प्रकार बंदी के इलाज में हुई विलम्ब के लिए आरोपित स्पष्ट रूप से दोषी है एवं अपने उत्तरदायित्व के निर्वहन में विफल रहे हैं।

5. वर्णित तथ्यों के आधार पर श्री कुमार के द्वितीय कारण पृच्छा जवाब को अस्वीकृत करते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित करने का विनिश्चय अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा किया गया :–

(i) निन्दन।

(ii) दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड।

2

6. उपर्युक्त विनिश्चय दंड के संदर्भ में विभागीय पत्रांक 4912 दिनांक 11.08.2016 के द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग, पटना से परामर्श की माँग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग के पत्रांक 2755 दिनांक 21.12.2016 द्वारा संसूचित किया गया है कि प्रस्तावित दण्ड " निन्दन " का दण्ड वृहत् दण्ड की श्रेणी में नहीं आता है, फलतः इस पर विभागीय स्तर पर ही निर्णय लिया जाना अपेक्षित है। आयोग द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त " दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड " संबंधी विभागीय दण्ड प्रस्ताव पर सहमति संसूचित की गयी है।

7. प्रस्तावित दंड पर बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त सहमति के आलोक में श्री विधु कुमार, बिहार कारा सेवा, तत्कालीन अधीक्षक, मंडल कारा, कटिहार (सम्प्रति मंडल कारा, सीवान) को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–14 (समय–समय पर यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत् निम्नांकित दंड अधिरोपित किया जाता है :–

(i) निन्दन।

(ii) दो वेतनवृद्धियाँ संचयी प्रभाव से रोकने का दण्ड।

आदेशः–आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित की जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
ह0/–

(राजीव वर्मा)
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(अधी0)–01–11/2014.....दिनांक–.....

प्रतिलिपिः–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशनार्थ (सी0डी0) सहित प्रेषित।

ह0/–
संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)

ज्ञापांक– कारा/नि0को0(अधी0)–01–11/2014.....56.....दिनांक–.....09-01-2017.....

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै0 दा0 नि0को0) विभाग, बिहार, पटना/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/प्रधान सचिव, गृह विभाग, बिहार, पटना/कारा महानिरीक्षक कोषांग, बिहार, पटना/संयुक्त आयुक्त, विभागीय जाँच, पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ/अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी/जिला कोषागार पदाधिकारी, सीवान/श्री विधु कुमार, अधीक्षक, मंडल कारा, सीवान/प्रशाखा पदाधिकारी, स्थापना शाखा (प्रशाखा–01), कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय, बिहार, पटना/आई0 टी0 मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अधीक्षक, केन्द्रीय कारा, मोतिहारी को आदेश दिया जाता है कि इस दण्डादेश का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय।

9.1.17

संयुक्त सचिव–सह–निदेशक (प्र0)